

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

प्रेषक,

सरकार के सचिव,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड।

सभी उपायुक्त, झारखण्ड।

राँची, दिनांक-.....

विषय :- **Revenue Case Monitoring System (RCMS)** अंतर्गत राजस्व न्यायालयों के संचालन हेतु कार्य-दिवस के निर्धारण के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-637/नि०रा०, दिनांक-30.11.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि Revenue Case Monitoring System (RCMS) अंतर्गत विभिन्न स्तर के राजस्व न्यायालयों के संचालन के कार्य-दिवस में एकरूपता लाने हेतु प्रासंगिक विभागीय पत्र द्वारा प्रमण्डलीय आयुक्त, उपायुक्त, अपर समाहर्ता एवं अनुमण्डल पदाधिकारी के राजस्व न्यायालयों के संचालन का कार्य-दिवस निम्नवत् निर्धारित है :-

क्र०सं०	राजस्व न्यायालय	कार्य दिवस (प्रत्येक सप्ताह)
1	प्रमण्डलीय आयुक्त	सोमवार, गुरुवार
2	उपायुक्त	मंगलवार, शुक्रवार
3	अपर समाहर्ता	बुधवार, शनिवार
4	अनुमण्डल पदाधिकारी	मंगलवार, शुक्रवार

उपर्युक्त क्रम में भूमि सुधार उप समाहर्ता तथा अंचलाधिकारी के राजस्व न्यायालय के संचालन के लिये निम्न रूपेण कार्य दिवस निर्धारित किया जाता है :-

क्र०सं०	राजस्व न्यायालय	कार्य दिवस (प्रत्येक सप्ताह)
1	भूमि सुधार उप समाहर्ता	गुरुवार, शनिवार
2	अंचलाधिकारी	सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

उपर्युक्त तालिका में अंकित पदाधिकारी Revenue Case Monitoring System (RCMS) का प्रयोग करते हुए निर्धारित कार्य दिवस को नियमित रूप से कोर्ट का संचालन करेंगे। उक्त निर्धारित कार्य दिवस को अवकाश रहने की स्थिति में ठीक अगले दिन कोर्ट का संचालन सुनिश्चित करेंगे। ज्ञातव्य हो कि वादों के निष्पादन की राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा की जाएगी।

अतः अनुरोध है कि उक्त निर्धारित कार्य दिवस के अनुरूप न्यायालय का संचालन करते हुए RCMS Portal के माध्यम से राजस्व वादों का निष्पादन सुनिश्चित की जाए एवं निर्गत आदेश की प्रति RCMS Portal पर Upload की जाए। साथ ही अपने अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के नियमित संचालन हेतु पीठासीन पदाधिकारी को निदेशित करते हुए वादों को निष्पादन तथा आदेश प्रति के RCMS Portal पर Updation की नियमित समीक्षा करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के सचिव
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक-01/निदे०अभि० (RCMS)-09/2021.....183...../नि०रा०, दिनांक- 22/6/2024

प्रतिलिपि:- सभी अपर समाहर्ता/ सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता/ सभी अंचलाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Shree
22/6/XXIV
सरकार के सचिव।